राजस्थान सरकार

राज्य की खेल नीति

2012

युवा मामले एवं खेल विभाग

अशोक गहलोत,
मुख्यमंत्री, राजस्थान

संदेश

मुझे यह जानकार प्रसन्नता है कि राजस्थान सरकार के युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा राजस्थान की खेल नीति 2012 बनाई गई है। इस नीति में विभिन्न महानुभावों के विचार भी सम्मिलित किये गये हैं। नीति बनाते समय यह भी ध्यान रखा गया है कि किस प्रकार राजस्थान राज्य में खेलों के इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ–साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाये ताकि हमारे खिलाड़ी अपने प्रयासों के माध्यम से कड़ी मेहनत कर अनूठे प्रदर्शनों का परिचय दें ताकि खेल नीति सार्थक हो।

मैं आशा करता हूँ कि इस खेल नीति से खिलाड़ी, खेल प्रशिक्षक, प्रदेश के समस्त खेल प्रेमी व अभिभावक लाभान्वित होंगे।

शुभ कामनाओं के साथ।

अशोक गहलोत,
मुख्यमंत्री, राजस्थान

मांगीलाल गरासिया,
राज्यमंत्री,
युवा मामले एवं खेल विभाग

संदेश

मुझे यह जानकार प्रसन्नता है कि राजस्थान सरकार के युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा राजस्थान की खेल नीति 2012 बनाई गई है। इस नीति में विभिन्न महानुभावों के विचार भी सम्मिलित किये गये हैं। नीति बनाते समय यह भी ध्यान रखा गया है कि किस प्रकार राजस्थान राज्य में खेलों के इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ–साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाये ताकि हमारे खिलाड़ी अपने प्रयासों के माध्यम से कड़ी मेहनत कर अनूठे प्रदर्शनों का परिचय दें ताकि खेल नीति सार्थ हो।

मैं आशा करता हूँ कि इस खेल नीति से खिलाड़ी, खेल प्रशिक्षक, प्रदेश के समस्त खेल प्रेमी व अभिभावक लाभान्वित होंगे।

शुभ कामनाओं के साथ।

मांगीलाल गरासिया,
राज्यमंत्री,

प्रस्तावना :–

यह सर्वविदित है कि किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए एक प्रभावी खेलनीति की जरुरत विगत कई वर्षों से महसूस की जा रही थी। राजस्थान में खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने में शामिल विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं द्वारा अपेक्षित उपायों की भी जरुरत महसूस की गई है।

राजस्थान सरकार का दृढ़ता से यह मानना है कि खेल मानव संसाधन विकास की योजना में एक सशक्त माध्यम है। खेलों को एक ऐसे माध्यम के रुप में प्रयुक्त किया जाए, जो युवाओं को आत्मविश्वासी, संगठित तथा अनुशासित कर दे।

इस नीति का उद्देश्य अभी तक के प्रयासों को स्थायित्व प्रदान करना है एवं इस मजबूत प्रगति में नई पहल को समायोजित करना है, जिससे कि सरकार को नई स्फूर्ति के साथ खेलों को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प हो सकें ।

नीति में यह विशेष रुप से ध्यान रखा गया है कि प्रदेश के सभी नागरिकों को खेलों में भाग लेने की बुनियादी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें, ताकि वे स्वस्थ एवं अनुशासित नागरिक बनकर प्रदेश की प्रगति में अधिक से अधिक योगदान दे सकें।

राज्य सरकार का मानना है कि मैदान व प्रशिक्षण जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए आर्थिक सहयोग भी वांछित होता है। इस नीति में इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

इस नीति के माध्यम से राज्य सरकार पूरे प्रदेश में व्यवस्थित, योजनाबद्ध एवं चरणबद्ध रुप से आधारभूत खेल सुविधाएं विकसित कर अधिक से अधिक खिलाड़ियों विशेषकर उभरते हुए और होनहार खिलाडियों को अवसर प्रदान कर सकेगी।

दृष्टिकोण कथन (VISION)

खेल सुविधाओं का विकास एवं प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना तथा प्रदेश को खेलों के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्य के रुप में स्थापित करना।

उद्देश्य :–

नीति के उद्देश्य इस प्रकार हैं :–

- प्रदेश में ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को खेलों के प्रति आकर्षित किया जा सके।
- प्रदेश के सभी नागरिकों को खेलों में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराना।
- खेलों में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।
- उच्च स्तरीय आधारभूत ढांचा तैयार करना, संधारण करना और उसका समुचित उपयोग करना।
- राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना।
- प्रतिभाशाली खिलाडियों को सम्मानित करना तथा इन्हें लगातार Incourage करते रहना होगा ।
- निःशक्त खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते हुए उनकी खेलों में भागीदारी सुनिश्चित करना।
- प्रदेश में साहसिक खेलों को बढ़ावा देना एंव निरन्तर प्रोत्साहन देना ।

खेल नीति पांच पहलुओं पर आधारित रहेगी :–

- आधारभूत खेल सुविधाएं
- प्रतिभाओं को चिन्हित करना एवं तराशना
- खिलाड़ियों को प्रोत्साहन
- खेल प्रबंधन
- खेल संघ

आधारभूत खेल सुविधाएं :–

नया आधारभूत ढांचा विकसित करना :– राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् के माध्यम से एकीकृत स्टेडियम विकास कार्यक्रम के तहत खेलों के बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। यह विकास कार्य कई स्तरों पर किया जा रहा है। वर्तमान में यह ढ़ांचा संभागीय, जिला, तहसील एवं ब्लॉक पंचायत मुख्यालयों में विकसित किया जा रहा है। प्रत्येक स्तर पर निर्धारित खेलों की संख्या के आधार पर आवश्यक भूमि का विकास किया जा

रहा है। इन सुविधाओं का निर्माण मानक डिजाइन एवं लागत मापदंडों के अनुसार होता है। इस बुनियादी ढांचे के समुचित रख–रखाव हेतु धनराशि का प्रावधान रखा गया है।

संभाग स्तर :– संभाग स्तर पर 11 खेलों की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हों, जिनके आयोजन के लिए राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हों। इसमें एथलेटिक्स (400 मी. ट्रैक), फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वालीबॉल, टेनिस, खो–खो, कबड्डी, तैराकी व इन्डोर स्टेडियम हैं। इसके अलावा कार्यालय भवन तथा दर्शक दीर्घाओं का निर्माण किया जाएगा। इस बुनियादी ढांचे के समुचित रख–रखाव हेतु धनराशि का प्रावधान रखा गया है।

जिला स्तर :– जिला स्तर पर 9 खेलों की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हों, जिनके आयोजन के लिए राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हों। इसमें एथलेटिक्स (400 मी. ट्रैक), फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबाल, टेनिस, खो–खो, कबड्डी, तैराकी व इन्डोर स्टेडियम हैं। इसके अलावा कार्यालय भवन तथा दर्शक दीर्घाओं का निर्माण किया जाएगा। इस बुनियादी ढांचे के समुचित रख–रखाव हेतु धनराशि का प्रावधान रखा गया है।

तहसील स्तर :– पांच चयनित खेलों के लिए भूमि चयन का प्रावधान रखा गया है जिसमें स्थानीय वरीयता का ध्यान रखा जाएगा। जिसमें एथलेटिक्स (200 मी. ट्रैक), बास्केटबॉल, फुटबाल, वॉलीबाल, खो–खो, कबड्डी के खेल मैदानों का निर्माण शामिल है। इसके अलावा कार्यालय भवन तथा दर्शक दीर्घाओं का निर्माण किया जाएगा। इस बुनियादी ढांचे के समुचित रख–रखाव हेतु धनराशि का प्रावधान रखा गया है।

ब्लॉक स्तर व ग्राम पंचायत :– पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) के तहत आगामी दस वर्षों में राज्य की सभी ग्राम पंचायतों व ब्लॉक स्तर पर खेल मैदानों का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल प्रतियोगिताएं प्रति वर्ष आयोजित की जाती हैं। इसमें चयनित ग्रामीण खिलाड़ी राजस्थान राज्य का राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करते हैं।

वर्तमान में मौजूद खेल सुविधाओं का संधारण एवं रख–रखाव :– राज्य सरकार एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न स्थानों पर खेल आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हुआ है। इनकी विशिष्टताओं एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरुप इनके समुचित संधारण हेतु पृथक से दिशा–निर्देश जारी किए जाएंगे।

खेल सुविधा उपयोगः– खेल संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के बाद उनका नियमित एवं समुचित रख–रखाव भी आवश्यक होता है जो आधारभूत संरचना सरकार द्वारा विकसित की जाएगी इनके उपयोग हेतु अलग से दिशा–निर्देश जारी किए जाएंगे। जो आधारभूत सुविधाएं सार्वजनिक व निजी सहभागिता के आधार पर विकसित हुई हैं, उनके संधारण हेतु समुचित शुल्क वसूली संबंधी प्रावधान रखा जा सकेगा।

निजी क्षेत्र की सहभागिता :– राजस्थान राज्य में खेल गतिविधियों के निरन्तर विकास के लिए (सार्वजनिक निजी भागीदारी) सबसे महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक निजी भागीदारी या पीपीपी आधारित परियोजनाओं के क्रियान्वयन को राज्य में विशेष महत्व दिया जा रहा है। पीपीपी को निजी व्यापार निवेश माना जाता है, जहां राज्य सरकार व निजी उपक्रम निवेश में साझेदार होते हैं। निजी पूंजी निवेश को अधिक मात्रा में लेकर आर्थिक घाटे को पूरा किया जा सकता है। अतः पीपीपी को आवश्यक रुप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इसको विशेष रुप से शामिल किया जाना प्रस्तावित है/किया जावेगा ।

निजी क्षेत्र द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रेरित करना :– सभी निगमों व बोर्डों और राज्य में शीर्षस्थ सहकारी संस्थाओं को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् के अधीन लाया जाएगा। इन संगठनों को अपनी पसंद के कम से कम एक खेल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा प्रस्तावित अलग–अलग संगठनों द्वारा खेलों को गोद लेने से निम्नलिखित लाभ होगें ।

- इससे इकाईयों में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा एवं इसके माध्यम से युवाओं व खिलाडियों में अनुशासन बढेगा। पारस्परिक सामन्जस्य एंव एकजुटता की भावना विकसित होगी ।
- इससे खेलों का विकास होगा व प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए नई–नई प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध होगी एंव खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर बढ़ेंगे एवं उनको उचित प्रोत्साहन भी मिलेगा।
- यह खिलाड़ियों की कमी नहीं रहेगी और विशेष रुप से इस योजना से राज्य की महिलाओं व अन्य खिलाड़ियों को रोजगार के अधिक से अधिक सुअवसर प्राप्त होंगे।
- इसके अन्तर्गत निगम व बोर्ड राज्य सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान करेगें , जिससे राज्य में खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आर्थिक स्त्रोतों में बढ़ोतरी होगी।

प्रतिभाओं को चिन्हित करना एवं तराशना :–

प्रतिभा खोज :– प्रदेश में प्रतिभा खोज योजना प्रारंभ की गई है, जिसके तहत 12 से 17 वर्ष आयुवर्ग के प्रतिभाशाली बालक व बालिकाओं का चयन किया जाता है। चयनित खिलाड़ियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने की क्षमता होती है एवं इनका चयन एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाता है एवं इनको गहन प्रशिक्षण हेतु खेल विकास कार्यक्रम के तहत रखा जाता है।

विद्यालय, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय :– विद्यालय, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय इन तीनों जगह से से अलग–अलग आयु वर्ग के खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें तराशा जा सकता है। विद्यालय स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को आगे महाविद्यालय व विश्वविद्यालय स्तर तक निरन्तर प्रशिक्षण व अन्य सुविधाएं मिलती रहेंगी। क्योंकि सही मायने में यहां से अच्छे स्तर के खिलाडी मिलते हैं। महाविद्यालय, स्कूल द्वारा किसी भी एक खिलाड़ी को किसी एक विशेष खेल के लिए मनोनित/चयनित किया जाये, और इसके लिए उस चयनित महाविद्यालय/स्कूल को वह पूर्ण सम्बन्धित खेल सुविधा दी जावे।

खेल छात्रावास :– राज्य सरकार राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् के माध्यम से विभिन्न खेलों के खेल छात्रावासों का संचालन करती है। जिनमें बालक व बालिकाओं का चयन करने के लिए चयन स्पर्द्धा का आयोजन किया जाता है। चयनित खिलाड़ियों को निःशुल्क आवास, भोजन, शिक्षा, खेल किट एवं खेल उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं। इन खिलाड़ियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधायें भी उपलब्ध कराई जाती है। प्रत्येक वर्ष सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। निरन्तरता नहीं रख पाने वाले खिलाड़ियों को छात्रावासों से हटा दिया जाता है।

अकादमियां :– ऐसे चयनित खेल जिनमें प्रदेश के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर अति विशिष्ट प्रदर्शन किया है। इन खेलों में राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अकादमी स्थापित करेगी इसके शुरूआति दौर में राज्य में फुटबॉल एवं कबड्डी (बालक), बास्केटबॉल (महिला), एथलेटिक्स (महिला), हॉकी (महिला), वॉलीबाल (महिला) एवं तीरंदाजी से सबंधित अकादमियों का संचालन किया जा रहा है। चयनित खिलाड़ियों को निशुल्क आवास, भोजन, शिक्षा, खेल किट एवं खेल उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं। इन खिलाड़ियों को निःशुल्क चिकित्सीय सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं।

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन :– हर शिक्षण संस्थाओं में राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के लिए सीटों में 5 प्रतिशत कोटा रखा जाना प्रस्तावित है एंव राज्य की नौकरियों में अलग से भी 2 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्रावधान है।

डे–बोर्डिंगः– राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् के द्वारा ऐसे खेलों में जिनमें कुछ केंद्रों पर स्थानीय खिलाड़ियों ने सराहनीय प्रदर्शन किए हैं, डे–बोर्डिंग केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत चयनित खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता एवं खेल उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं। शुरुआती तौर पर प्रथम चरण में कुश्ती (भरतपुर), बास्केटबॉल (सीकर), वॉलीबाल (चूरु), कबड्डी (जयपुर), एथलेटिक्स (झुंझुनूं) तथा तीरंदाजी (उदयपुर) में ऐसे केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।

शहरों व गांवों हेतु विकासात्मक दृष्टिकोण :– खेल विशेष में उपलब्ध प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की संख्या एवं स्थानीय विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए गांवों व शहरों उपलब्ध होने वाले

खेल सुविधाओं में प्रयाप्त अन्तर होने के कारण तथा गुणावगुण और उपलब्धता के आधार पर खेलों में प्रोत्साहन हेतु कार्य निष्पादन करना।

निजी क्षेत्र के साथ सहभागिता :– निजी क्षेत्रों से सम्पर्क कर उन्हें खेलों के प्रवर्तन एवं विकास में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे खेलों के लिए आवश्यक अवसंरचना एवं नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग संभव हो पाएगा। इन्हें खेल अकादमियों की स्थापना एवं प्रबंध के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। उपरोक्त उद्देश्य के लिए एक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा भी की जाएगी।

भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ समन्वय :– युवा मामले एवं खेल विभाग तथा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में समन्वय कर इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के प्रयास करेंगे।

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन :–

पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार :– देश व प्रदेश के लिए विभिन्न स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि के लिए हौंसला अफजाई करते हुए आकर्षक नकद पुरस्कार दिए जाएंगे जिससे अन्य खिलाड़ी भी खेलों के प्रति आकर्षित होंगे। इस दृष्टि से वर्तमान में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को अप्रयाप्त महसूस करते हुए राज्य सरकार ने इसमें प्रयाप्त वृद्धि की है। प्रतियोगिता एवं पदक के स्तर को देखते हुए राज्य सरकार समय–समय पर इन नकद पुरस्कारों को बढ़ा भी सकती है। वर्तमान में राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान नियम, 1986 में संशोधन करते हुये।

इन नियमों का नाम राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान नियम, 2012 रखा गया है।

1. क्रीड़ा निकायों द्वारा आयोजन/प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट :–

क्र.सं	अनुदान का विवरण	विद्यमान अनुदान	संशोधित अनुदान
1	पंचायत स्तर	1000/–रु तक	10,000/– रु तक
2	तहसील स्तर/ ब्लॉक स्तर	1500/–रु तक	15,000/–रु तक
3	जिला स्तर	5000/– रु तक	50,000 /– रु तक
4	राज्य स्तर	10,000/–रु तक	1,00,000/– रु तक
5	अन्य क्षेत्रीय/विभागीय स्तर के टूर्नामेन्ट/ प्रतियोगिता	5,000/–रु तक	50,000/– रु तक

2. उपकरणों/किटों का क्रय :–

क्र. सं	अनुदान का विवरण	विद्यमान अनुदान	संशोधित अनुदान
1	व्यक्तिगत	2,000/– रु तक	30,000/– रु तक
2	मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत प्राइवेट खेल और क्रीड़ा संगठन/निकाय	किसी व्यक्तिगत संस्था को उसके क्रियाकलापों और उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए 2,000/– रु से 10,000/– रु तक। ऐसी सहायता केवल एक बार दी जाएगी।	किसी व्यष्टिक संस्था को उसके क्रियाकलापों और उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए 20,000/– रु से 1,00,000/– रु तक। ऐसी सहायता केवल एक बार दी जाएगी।

3. किसी व्यक्ति को खेल और क्रीड़ा में प्रशिक्षण :–

क्र. सं	अनुदान का विवरण	विद्यमान अनुदान	संशोधित अनुदान
1	राज्य के भीतर	2,000/– रु तक	20,000/– रु तक
2	राज्य के बाहर	5,000/– रु तक	50,000/– रु तक
3	देश के बाहर	10,000/– रु तक	2,00,000/– रु तक

4. प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन :–

अनुदान का विवरण	विद्यमान अनुदान	संशोधित अनुदान
प्रतिभाशाली व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण शिविर	प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रत्येक दिन के लिए 10./– रु और दो से तीन सप्ताह की अवधि के प्रत्येक शिविर के लिए 3,000/– रु की सीमा के अध्यधीन रहते हुए खेल शिक्षकों के मानदेय व्यय का 50 प्रतिशत	प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रत्येक दिन के लिए 125./– रु और दो से तीन सप्ताह की अवधि के प्रत्येक शिविर के लिए 37,500/– रु की सीमा के अध्यधीन रहते हुए खेल शिक्षकों के मानदेय व्यय का 50 प्रतिशत

5. क्रीड़ा प्रकाशन का कार्य :–

विद्यमान	संशोधित
किसी व्यक्ति के मामले में 2000/– रु की सीमा के अध्यधीन रहते हुए व्यय का 50 प्रतिशत (प्रकाशन की एक प्रति युवा मामले एवं खेल विभाग को मुफ्त उपलब्ध करानी होगी)	किसी व्यक्ति के मामले में 50,000/– रु की सीमा के अध्यधीन रहते हुए व्यय का 50 प्रतिशत (प्रकाशन की एक प्रति युवा मामले एवं खेल विभाग को मुफ्त उपलब्ध करानी होगी)

6. राज्य के बाहर भारत में प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अनुदान :–

विद्यमान	संशोधित
दोनों और का प्रथम श्रेणी का रेल किराया और प्रत्येक अभ्यर्थी को 20/– रु प्रतिदिन /प्रशिक्षण तभी अनुज्ञेय होंगे जब भोजन और आवास, आयोजन करने वाले राज्य या किसी अन्य संस्था/निकाय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया हो।	दोनों और का प्रथम श्रेणी का रेल किराया और प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रतिदिन कम से कम 500/– रु /प्रशिक्षण तभी अनुज्ञेय होंगे जब भोजन और आवास, आयोजन करने वाले राज्य या किसी अन्य संस्था/निकाय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया हो।

7. (क) भारत से बाहर अन्तरराष्ट्रीय खेल या क्रीड़ा में भाग लेने वाले के लिए अनुदान।

(ख) खिलाड़ियों और खेल शिक्षकों/रेफरियों/टीम मैनेजर को इनाम।

विद्यमान	संशोधित
दोनों ओर का वायुयान का किराया और प्रत्येक अभ्यर्थी को 50/– रु प्रतिदिन।	दोनों ओर का वायुयान का किराया और प्रत्येक अभ्यर्थी को 500/– रु प्रतिदिन।

क. अन्तरराष्ट्रीय स्पर्धाऐं :–

क्र. सं	अनुदान का विवरण	विद्यमान अनुदान	संशोधित अनुदान
1	किसी भी अन्तरराष्ट्रीय खेल या क्रीड़ा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर	50,000/– रु तक	5,00,000/– रु तक
2	किसी भी अन्तरराष्ट्रीय खेल या क्रीड़ा में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर	30,000/– रु तक	3,00,000/– रु तक
3	किसी भी अन्तरराष्ट्रीय खेल या क्रीड़ा में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	20,000/– रु तक	2,00,000/– रु तक

ख. राष्ट्रीय स्पर्धाऐं :–

क्र. सं	अनुदान का विवरण	विद्यमान अनुदान	संशोधित अनुदान
1	प्रथम स्थान प्राप्त करने पर	25,000/– रु तक	2,50,000/– रु तक
2	द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर	10,000/– रु तक	1,00,000/– रु तक
3	तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	5,000/– रु तक	50,000/– रु तक

ग. राज्य स्पर्धाऐं :–

क्र. सं	अनुदान का विवरण	विद्यमान अनुदान	संशोधित अनुदान
1	प्रथम स्थान प्राप्त करने पर	10,000/– रु तक	1,00,000/– रु तक
2	द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर	5,000/– रु तक	50,000/– रु तक
3	तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	2,000/– रु तक	20,000/– रु तक

टिप्पणीः– प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली किसी टीम के मामले में टीम में सम्मिलित प्रत्येक सदस्य पात्र होगा, बशर्ते कि आयोजित स्पर्धा वाणिज्यिक आधार पर न हो।

8. भवन के लिए अनुदान :–

अनुदान का विवरण	विद्यमान अनुदान	संशोधित अनुदान
खेल मैदान/स्टेडियम या खेल और क्रीड़ा से संबद्ध किसी भवन/मैदान का निर्माण	प्राविधित व्यय का 25 प्रतिशत जो किसी एक मामले में 2.00 लाख रु से अधिक नहीं होगा।	प्राविधित व्यय का 25 प्रतिशत जो किसी एक मामले में 20.00 लाख रु से अधिक नहीं होगा।

9. मरम्मत के लिए या उसके सम्बन्ध में या स्टेडियम में अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं मैदान या क्रीड़ा क्रियाकलापों के मरम्मत में उपयोग में आ रहे भवन के सुधार के लिए तदर्थ अनुदान दिया जा सकेगा।

विद्यमान	संशोधित
अधिकतम 20,000/– रु तक	अधिकतम 5,00,000/– रु तक

10. क्रीड़ा के लिए मुख्यमंत्री/खेल मंत्री द्वारा घोषणाः– ऐसी टीम या व्यष्टिक खिलाड़ी का व्यक्ति जो खेल क्रियाकलापों या क्रीड़ा क्रियाकलापों के विकास के प्रति योगदान के कारण प्रशंसा का पात्र हो, का सम्मान करने हेतु समारोह आयोजित करने के लिए अनुदान ।

क्र. सं	अनुदान का विवरण	विद्यमान अनुदान	संशोधित अनुदान
1	अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त	10,000/– रु तक	1,00,000/– रु तक
2	राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त	5,000/– रु तक	50,000/– रु तक
3	राज्य स्तरीय	2,000/– रु तक	20,000/– रु तक

11. राज्य सरकार द्वारा क्रीड़ा सप्ताह आयोजित करने के लिए अनुदान :–

क्र. सं	अनुदान का विवरण	विद्यमान अनुदान	संशोधित अनुदान
1	जिला स्तर पर	5,000/– रु तक	50,000/– रु तक
2	राज्य स्तर पर	2,000/– रु तक	20,000/– रु तक

12. <u>खेल विभाग द्वारा सृजित क्रीड़ा कल्याण, निधि हेतु निधिया उपलब्ध कराने हेमु अनुदान :–</u>

विद्यमान	संशोधित
1,00,000/– रु तक	10,00,000/– रु तक

13. <u>आयोजकों को प्रत्याभूति धन प्रदत्त किया जाएगा यदि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कोई मैच/टूर्नामेन्ट राजस्थान में आयोजित किया जाए।</u>

विद्यमान	संशोधित
जितने के लिए सरकार सहमत हो	जितने के लिए सरकार सहमत हो

<u>पदक विजेताओं को अन्य सुविधाएं</u> :– पदक जीतने पर राज्य सरकार ने नकद पुरस्कार के साथ–साथ अन्य सुविधाएं देने की भी योजना बनाई है। जिसमें प्रतियोगिता के स्तर के आधार पर निःशुल्क व रियायती दर पर मकान व भूमि आवंटन, रोडवेज बस में निशुल्क यात्रा आदि शामिल हैं। राजस्व उप निवेशन विभाग के आज्ञा क्रमांकः एफ. 3(55)उप/95 जयपुर, दिनांकः 29.09.2000 के अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को भूमि आंवटन करने बाबत आदेश इस प्रकार है :–

अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन हेतु इस विभाग के पत्रांक प. 31(49)राज/उप/77 दिनांक 27.07.82 के बिन्दु सं. 11(द) को ओर स्पष्ट करते हुए निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1. ओलम्पिक, एशियाड़ एवं राष्ट्रकुल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले राजस्थान के निवासी खिलाड़ी सामान्य आवंटन की 25 बीघा तक कमाण्ड भूमि के आवंटन के नियमानुसार आरक्षित मूल्य पर आवंटन के पात्र होंगे।
2. ओलम्पिक एशियाड़ एवं राष्ट्रकुल खेलों में पदक जीतने वाले राजस्थान के निवासी खिलाड़ी इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्रों में 25 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन के पात्र होंगे तथा।

3. एवरेस्ट पर्वतारोहण में सफल राजस्थान के निवासी पर्वतारोही इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 25 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन के पात्र होंगे।

उपरोक्तानुसार राजस्थान के निवासी खिलाड़ियों को जो कि स्वयं खेती का धन्धा अपनाना चाहते हैं और कर सकते हो, को निर्धारित प्रक्रिया अपना कर भूमि आवंटन की कार्यवाही शीघ्र की जावे।

प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ट्रेनिंग, यात्रा, बीमा, इलाज आदि की सहायता :– प्रदेश के जिन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर पदक की उम्मीद है, उनके लिए राज्य सरकार विशेष पैकेज बनाएगी। जिसमें उनकी तैयारियों को लेकर उच्च–स्तरीय प्रशिक्षण, यात्रा भत्ता, बीमा एवं इस दौरान यदि कोई चोट लगती है, तो उसके इलाज का खर्चा आदि शामिल होगा।

राजकीय नौकरी में आरक्षण :– देश–विदेश में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले पदक विजेता (मुख्यमंत्री घोषणा के अनुसार) खिलाड़ियों के लिए राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में आरक्षण भी दिया जाएगा। राज्य सरकर इस पर अन्तिम निर्णय लेने वाली है कि सभी नौकरियों में 2 प्रतिशत आरक्षण रखा जायेगा।

- खिलाड़ियों को दिये जाने वाले भोजन की मात्रा तथा उसकी राशि फिक्स किये जाने के अभ्यास किये जायेगें।
- सभी खेल संघों के कार्यक्रम आपस में सम्भाभित होने चाहिये ताकि उनमें आपसी सामजस्य का रहा समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए जिससे सभी सम्बन्धित एजेन्सियां समयानुसार अपने कार्य का समापन कर सके।
- खेलों से संबन्धित सभी विभिन्न कार्य करने के लिए एक नोडल समिति का गठन प्रस्तावित है जो कि 3 सदस्यों की हो, जो यह देखे कि काम पूर्ण हो गये हैं अथवा नहीं और उस संबंध में सुझाव भी दे सके।
- अभी खिलाड़ियों को, खेल कर्मियों को तथा खेल अधिकारियों को चोट लगने अथवा बीमार होने पर जो व्यय होता है वह किसी न किसी स्कीम जैसे ई.एस.आई.सी. जैसी हो, के अन्तर्गत लाना उचित होगा।
- इसी प्रकार खेल प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु निर्धारित संस्था देना उचित होगा और अगर प्रशिक्षण हेतु खिलाड़ियों की संख्या बढ़ जाती है तो अस्थाई खेल प्रशिक्षक को नियुक्त किया जाना चाहिये और खेल प्रशिक्षक को खिलाड़ियों के प्रशिक्षक के लिए तथा उनके विकास के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिये।

खेल प्रबंधन :–

खेल विभाग की भूमिका:– राजस्थान सरकार के युवा मामले एवं खेल विभाग प्रदेश में खेलों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को संचालित कर रहा है। खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता व अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए खेल विभाग राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान नियम बनाता है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के साथ–साथ नवीन खेल योजनाओं को अमलीजामा पहनाना विभाग का प्रमुख ध्येय है।

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् की भूमिका :– राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत संस्था है। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के साथ–साथ युवा मामले एवं खेल विभाग की नीतियों एवं महत्वपूर्ण योजनाओं को सभी जिलों में प्रभावी रुप से लागू करना परिषद् का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् प्रदेश में खेल स्टेडियमों का रख–रखाव, सभी खेलों के उपकरणों की खरीद व रख–रखाव, खेल अकादमियों व खेल छात्रावासों की स्थापना व रख–रखाव, खेल अधिकारियों, प्रशिक्षकों व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, विशिष्ट लक्ष्य पर आधारित खेल परियोजनाओं का क्रियान्वयन तथा राज्य खेल संघों के साथ समन्वय स्थापित करने के साथ–साथ विभिन्न राज्य तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाडियों को दैनिक व यात्रा भत्ता देना।

खेल अधिकारियों व प्रशिक्षकों की भूमिका :– राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए सभी जिलों में नियुक्त खेल अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे दिन–प्रतिदिन के कार्यों को भी संपादित करते हैं। इसके अलावा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् के प्रशिक्षक दिन–प्रतिदिन नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत खिलाड़ियों को खेल की बारीकियों का अभ्यास करवाते हैं।

निर्णायक व अंपायर :– किसी भी स्तर की प्रतियोगिता में निर्णायक व अंपायर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

सभी खेल गतिविधियों का साल शुरू होने से पहले माहवार कलेण्डर बनाकर सभी संस्थाओं को ब्यतबनसंजम करना अनिवार्य होना चाहिये जिसका दायित्व राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् का होना चाहिये।

सभी एम.ओ.यू. जिसमें सरकार का स्वामित्व किसी अन्य संस्थाओं को देना खेलों के हित में ठीक नहीं होगा, यदि पहले से लागू हो तो इसे समयबद्ध तरीके से समाप्त करना चाहिये। पीपीपी के तहत योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करनी चाहिये जिससे ग्रामीण क्षेत्रो में खेलों का आधारभूत ढ़ांचा मजबूत व विकसित हो सकेगा।

महिला खेल :– राज्य में महिलाओं को खेलों में भाग लेने के समान अवसर प्रदान किए जाते है एवं महिलाओं के लिए ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर महिला खेलों का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। राज्य की महिला टीमें राष्ट्रीय स्तर की सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेती हैं।

जनजातीय खेल :– जनजाति क्षेत्रों में खिलाड़ियों की उत्कृष्टता को बढ़ावा देने हेतु सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। राजस्थान के जनजाति क्षेत्र में प्रतिभाओं को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं, इन प्रशिक्षण शिविरों से प्रतिभाओं को ढूंढ कर उनको तराशा जाता है एवं श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए उनको आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है। जनजाति क्षेत्र में प्रचलित खेलों की सब–जूनियर, जूनियर व सीनियर स्तर की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं।

निःशक्त खिलाड़ियों हेतु :– राजस्थान राज्य में निःशक्त खिलाड़ियों के खेलों में भाग लेने हेतु राज्य सरकार प्रत्येक स्तर पर उनको सभी खेल सुविधाएं व प्रशिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध करवाती है जिससे उन्हें राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने में मदद मिलती है। राज्य में निःशक्त खिलाड़ियों को सामान्य खिलाड़ियों के समान सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायेगी।

कानूनी ढांचा व नियम :–

खेल संघों की भूमिका :– राज्य व जिला स्तर पर खेल संघों को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और राज्य सरकार की ओर से इन्हें हर संभव मदद दी जाती है। खेल संघ की ओर से आयोजित प्रतियोगिताओं में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् की ओर से दैनिक भत्ता व यात्रा भत्ता दिया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने जाने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण शिविर के साथ–साथ निःशुल्क आवास सुविधा तथा दैनिक भत्ता व यात्रा भत्ता दिया जाता है। साथ ही खेल संघों के संचालन में उनकी स्वायत्तता बनाए रखते हुए कार्य संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए विनियामक व्यवस्था स्थापित की जाएगी।

ओलम्पिक खेल :– राजस्थान क्रीड़ा अधिनियम 2005 के तहत 40 मान्यता प्राप्त खेल संघ हैं, जिसमें ओलम्पिक खेल निम्न प्रकार हैंः जिम्नास्टिक, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, तैराकी, साईक्लिंग, वॉलीबाल, बास्केटबॉल,, हैण्डबॉल, कुश्ती, भारोत्तोलन, बैडमिन्टन, टेबल–टेनिस, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, तीरंदाजी, ताईक्वांडो, बिलियर्ड्स, राईफल–शूटिंग, घुड़सवारी।

गैर–ओलम्पिक खेल :– क्रिकेट, खो–खो, कुश्ती (भारतीय पद्धति), साईकिल–पोलो, सॉफ्टबॉल, पावरलिफ्टिंग, शतरंज, शूटिंगबॉल, बॉडी–बिल्डिंग, नेटबॉल, टेनिसबॉल क्रिकेट, कॉर्फबॉल।

खेल अधिनियम व नियम :– प्रदेश में खेलों व खेल संघों के सुव्यवस्थीकरण हेतु राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम 2005 लागू है। इस अधिनियम के तहत प्रदेश में खेल संघों के रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन का उपबंध करने और खेल संघों के क्रियाकलापों व कार्यकलापों को सुदृढ बनाने और विनियमित करने तथा राजस्थान राज्य तथा राज्य के विभिन्न राजस्व जिलों का प्रतिनिधित्व करने के अधिकार को मान्यता प्रदान करने और विनियमन करने का भी उपबंध करने के लिए अधिनियम।

विवादों का निपटारा :– इस अधिनियम में विवादों का निपटारा अध्याय 4 में वर्णित है। एक निश्चित प्रक्रिया के तहत किया जाता है।

खेल नियम में परिवर्तन करना खेल हित में होगा, पुरानी पद्धति को अपनाकर उसमें उसी खेल के 75 प्रतिशत राज्य स्तरीय खिलाड़ियों का होना आवश्यक होना चाहिये।
सभी स्कूलों/महाविद्यालयों में खेल का एक कालांश होना अनिवार्य करना चाहिये यह विद्यार्थी की शारीरिक व मानसिक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी होगा :–

अन्य बिन्दु :–

महिला खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान :– राज्य में महिलाओं को खेलों में भाग लेने के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं एवं महिलाओं के लिए ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर महिला खेलों का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। राज्य की महिला टीमें राष्ट्रीय स्तर की सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेती हैं।

जनजाति क्षेत्र के खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान :–जनजाति क्षेत्रों में खिलाड़ियों की उत्कृष्टता को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। राजस्थान के जनजाति क्षेत्र में प्रतिभाओं को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं, इन प्रशिक्षण शिविरों से प्रतिभाओं को ढूंढ कर उनको तराशा जाता है एवं श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए उनको आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है। जनजाति क्षेत्र में प्रचलित खेलों की सब–जूनियर, जूनियर व सीनियर स्तर की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं।

निःशक्त खिलाड़ियों हेतु :– राजस्थान राज्य में निःशक्त खिलाड़ियों के खेलों में भाग लेने हेतु राज्य सरकार प्रत्येक स्तर पर उनको सभी खेल सुविधाएं व प्रशिक्षण सुविधा भी उपलब्ध करवाती है जिससे उन्हें राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने में मदद मिलती है। राज्य में निःशक्त खिलाड़ियों को सामान्य खिलाड़ियों के समान सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं।

खेल विज्ञान :– आधुनिक युग में खेल विज्ञान खिलाड़ियों के प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण में अहम भूमिका निभाता है। इस खेल विज्ञान केन्द्र में खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता एवं उनके प्रदर्शन में निरंतर परिवर्तनों का संधारण किया जाता है जिसके आधार पर प्रशिक्षक उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में समय–समय पर बदलाव लाते हैं। अतः इस केन्द्र में जैव यांत्रिकी, बायोमैकेनिक्स, खेल मनोविज्ञान व खेल चिकित्सा के विभाग होंगे।

योग :– योग के बहुआयामी लाभ हैं तथा जनमानस एवं शिक्षण संस्थाओं में इसको अधिक से अधिक प्रचारित किया जाएगा। खेल विभाग तथा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक योग प्रशिक्षक हो। जिलों में योग के प्रशिक्षण व अभ्यास के लिए जिला स्तर पर सुविधाएं विकसित की जाएंगी। योग को सभी जिलों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक अभिन्न अंग के रुप में सम्मिलित किया जाएगा।

नैतिक मूल्य :– अच्छे खिलाड़ियों में अनुशासन, समयपालन, उच्च नैतिक मूल्य होना आवश्यक है। विद्यमान नियमों एवं प्रतिभाओं में नैतिक मापदंडों का अनुपालन करते हुए ही उत्कृष्टता प्राप्ति का प्रयास अपेक्षित है।

खेल पत्रकार व मीडिया :– खेलों का वातावरण बनाने एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए संचार माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मीडिया की त्वरित व सहज पहुंच खेलों का वातावरण बनाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस लिये खेलों के साथ खेल व मीड़िया का जुड़ाव जारी रहेगा।

खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति :–

ओलम्पिक, एशियाड, राष्ट्रमण्डल आदि खेलों के पदक विजेताओं के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान रखा जावेगा। इस सम्बन्ध में अलग से आदेश जारी किये जायेंगे। इसी प्रकार राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताओं में चैम्पियनशिप में विजेता खिलाड़ियों को भी छात्रवृति दिये जाने का प्रावधान रखा जावेगा।

खेल रत्न पुरस्कार :– ऐसे खिलाड़ी वर्ष में असाधारण खेल उपलब्धि प्राप्त करते हैं। उनको खेल रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान प्राप्त करने के लिए ऐसे खिलाड़ियों का चयन किया जाता है जिन्होंने ओलम्पिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमण्डल खेलों में सम्मिलित किसी खेल में उपलब्धि हासिल की हो। इस उपाधि के तहत 2.00 लाख रु. नकद व ब्लेजर व टाई प्रदान की जाती है।

खेल रत्न पुरस्कार के लिए चयन मापदंड एसे खिलाड़ी जिन्होंने मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान एसे खेलों में जो

खेल नीति में वर्णित किए गए हैं, प्राप्त किया है एवं उनकी उत्कृष्टता का स्तर विगत तीन वर्षों तक निरन्तर रहा हो उसे इस पुरस्कार हेतु उसके नाम पर विचार किया जाएगा।

किसी भी टूर्नामेन्ट चैम्पियनशिप में केवल भागीदारी करने पर विचार नहीं किया जायेगा।

खिलाड़ी को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करना आवश्यक है बिना राजस्थान का प्रतिनिधित्व किये अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन पर विचार नहीं किया जावेगा।

खेल रत्न चयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की समिति का गठन किया गया है :–

- अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् **अध्यक्ष**
- शासन उप सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग **सदस्य**
- राजस्थान के दो अर्जुन पुरस्कार विजेता **सदस्य**
- प्रमुख खेल प्रशासक **सदस्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी**
- सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् **सदस्य सचिव**

महाराणा प्रताप पुरस्कार :– यह राजस्थान राज्य का खेलों के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 51 हजार रु. नकद राशि, महाराणा प्रताप की प्रतिमा एवं ब्लेजर व टाई प्रदान की जाती है। महाराणा प्रताप पुरस्कार विजेताओं को सरकार उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सेवा में नियुक्ति देगी।

टिप्पणी :– सभी पुरस्कारों में चयन समिति में कुल 7 सदस्य होंगे। उपरोक्त 5 के अलावा 1 राष्ट्रीय 2 अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होंगे।

महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए चयन मापदण्ड :– महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान ऐसे खेलों में जो खेल नीति में वर्णित किए गए हैं, प्राप्त किया है एवं उनकी उत्कृष्टता का स्तर विगत तीन वर्षों तक निरन्तर रहा हो उसे इस पुरस्कार हेतु उसके नाम पर विचार किया जाएगा।

किसी भी टूर्नामेंट में केवल भागीदारी करने पर विचार नहीं किया जाएगा। खिलाड़ी को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करना आवश्यक है बिना राजस्थान का प्रतिनिधित्व किए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन पर विचार नहीं किया जाएगा।

महाराणा प्रताप पुरस्कार की चयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की समिति का गठन किया गया है :–

- अध्यक्ष राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् **अध्यक्ष**
- शासन उप सचिव युवा मामले एवं खेल विभाग **सदस्य**
- राजस्थान के दो अर्जुन पुरस्कार विजेता **सदस्य**
- प्रमुख खेल प्रशासक **सदस्य**
- सचिव राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् **सदस्य सचिव**

गुरु वशिष्ठ पुरस्कार :– इस पुरस्कार की स्थापना राज्य के प्रशिक्षकों को उनकी उत्कृष्ट प्रशिक्षण क्षमता के लिए स्थापना की गई थी। इस पुरस्कार के तहत 0.50 लाख रु नकद राशि, गुरु वशिष्ठ की प्रतिमा एवं ब्लेजर व टाई प्रदान की जाती है।

ऐसे प्रशिक्षक जो पुरस्कार के लिए अपने आपको सम्मिलित करना चाहते हैं वे अपने आवेदन अपनी उपलब्धियों के साथ जिला खेल अधिकारी के माध्यम से भेजेंगे। खेल संघ व अन्य व्यक्ति भी अपना आवेदन अपनी समस्त खेल उपलब्धियों को संलग्न कर नामांकन हेतु भेज सकता है।

ऐसा प्रशिक्षक जो राजस्थान सरकार में कार्य कर रहा है अथवा निजी क्षेत्र में कार्य कर रहा है। एवं जिन्होंने राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के राजस्थान के खिलाड़ियों को तैयार करने में विगत तीन वर्षों में लगातार अपना सहयोग प्रदान किया है। एसे प्रशिक्षकों को इस अवॉर्ड के लिए उपयुक्त माना जाता है।

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एक निर्धारित समिति की अनुशंषा के आधार पर प्रदान किया जाता है।

गुरु वशिष्ठ पुरस्कार :– इस पुरस्कार की स्थापना राज्य के प्रशिक्षकों को उनकी उत्कृष्ट प्रशिक्षण क्षमता के लिए स्थापना की गई थी। इस पुरस्कार के तहत 0.50 लाख रु नकद राशि, गुरु वशिष्ट की प्रतिमा एवं ब्लेजर व टाई प्रदान की जाती है।

ऐसे प्रशिक्षक जो पुरस्कार के लिए अपने आपको सम्मिलित करना चाहते हैं वे अपने आवेदन अपनी उपलब्धियों के साथ जिला खेल अधिकारी के माध्यम से भेजेंगे। खेल संघ व अन्य व्यक्ति भी अपना आवेदन अपनी समस्त खेल उपलब्धियों को संलग्न कर नामांकन हेतु भेज सकता है।

ऐसे प्रशिक्षक जो राजस्थान सरकार में कार्य कर रहे हैं अथवा निजी क्षेत्र में कार्य कर रहा है एवं जिन्होंने राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के राजस्थान के खिलाड़ियों को तैयार करने में विगत तीन वर्षों में लगातार अपना सहयोग प्रदान किया है। एसे प्रशिक्षकों के इस अवॉर्ड के लिए उपयुक्त माना जाता है।

गुरु वशिष्ट पुरस्कार के लिए चयन मापदण्ड :– इस पुरस्कार के लिए उस प्रशिक्षक को चयन के लिए उपयुक्त समझा जाता है जिन्होंने उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं :–

1. विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेलों में ।
2. इस तरह के राष्ट्रीय खेल जिन्हें देश में मान्यता दी गई है।
3. इस तरह के स्वदेशी खेल जिन्हें परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त है।

पात्रता :–

परिषद् के ऐसे प्रशिक्षक जो एन.आइ.एस अथवा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने खिलाड़ी च्तवकनबम कर रहा हो, से प्रशिक्षित हैं उनको चाहे वे स्थाई नौकरी में हैं अथवा कुछ समय प्रशिक्षक का कार्य करते हैं यदि उन्होंने निरन्तर रुप से पिछले तीन वर्षों में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हैं उनको इस पुरस्कार हेतु विचारित किया जाएगा।
प्रशिक्षकों की उपलब्धियों की गणना निम्न आधारों पर की जाएगी :–

1. व्यक्तिगत इवेन्ट्स :–

- ऐसे प्रशिक्षक जिन्होंने ऐसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया है जो ओलम्पिक, विश्व चैम्पियनशिप, विश्वकप में कोई पदक जीता हो।
- ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक एशियाई, राष्ट्रमण्डल खेल में पदक प्राप्त किया हो।
- ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक एशियाई चैम्पियनशिप, राष्ट्रमण्डल चैम्पियनशिप अथवा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया हो।

2. टीम इवेन्ट :–

ऐसे प्रशिक्षक उपयुक्त माने जाएंगे जिनके द्वारा प्रशिक्षित की गई टीम यदि कोई स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक ओलम्पिक विश्व चैम्पियनशिप, विश्वकप एशियाई, राष्ट्रमण्डल चैम्पियनशिप अथवा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीता हो। केवल प्रतियोगिता में भाग लेने के आधार पर ही उनकी उपलब्धि नहीं मानी जाएगी। गुरु वशिष्ठ की चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की समिति का गठन किया गया है :–

- अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् **अध्यक्ष**
- शासन उप सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग **सदस्य**
- राजस्थान के दो अर्जुन पुरस्कार विजेता **सदस्य**
- प्रमुख खेल प्रशासक **सदस्य**
- सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् **सदस्य सचिव**

खेल संघों का पंजीकरण एवं मान्यता के मापदण्ड :– प्रत्येक खेल संघ का पंजीकृत होना आवश्यक है एवं अपने कार्यों के निर्वहन के लिए राजस्थान राज्य खेल परिषद् से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। हर पंजीकृत खेल संघ अपना संविधान बनाएगा जिसमें उसके लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, बाइलाज होंगे इसमें निम्न बातें होंगी :–

- खेल संघ की कार्यकारिणी के चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से होंगे।
- कार्यकारिणी के चुनाव हर 4 वर्ष में कम से कम एक बार होंगे।
- हर जिला खेल संघ द्वारा राज्य खेल संघ व राजस्थान राज्य खेल परिषद् के दिशा निर्देशों व निर्णयों का पालन करेंगे।
- प्रत्येक खेल संघ अपने चुनावों में बिना किसी भेद–भाव के खेल में रुचि लाने वाले व्यक्तियों को चुनने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

जिला स्तर के चुनावों में वोटिंग का अधिकार उन्हीं को दिया जाना चाहिये जो प्राथमिक स्तर के क्लब/यूनिट जो वंपिबपंस ज्वनतदंउमदज में भाग लेते है/ च्तजपबपचंजम करते है।

यदि प्राथमिक स्तर पर क्लबों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है तो उनका रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार सीधा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् या युवा मामले एवं खेल विभाग के पास होना चाहिये जिससे प्राथमिक स्तर के क्लब/न्दपज सीधा पंजीयन/त्महपेजतंजपवद करवा सके।

प्रत्येक खेल संघ अपने बाईलाज में चुनाव प्रक्रिया का प्रावधान करेगा जिसमें निम्न बातें होंगी :–

- एक स्वतंत्र निर्वाचन अधिकारी का प्रावधान।
- चुनाव के नोटिस के जारी होने से पहले मतदाता सूची का प्रकाशन।
- न्यूनतम 21 दिन का चुनावी नोटिस सचिव के हस्ताक्षर से जिसके साथ में संघ के अंकेक्षण लेखापरीक्षित खातों व वैध मतदाता सूची के साथ जारी किया जाए।
- नामांकन चुनाव से कम से कम 3 दिन पूर्व लिए जाए।
- गुप्त मतदान द्वारा चुनाव कराने का प्रावधान हो।

चुनाव :– राज्य खेल संघ के कार्यकारिणी के चुनाव में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् व राष्ट्रीय खेल संघ का एक पर्यवेक्षक उपस्थित होगा।

जिला खेल संघ के चुनाव में राज्य खेल संघ व जिला खेल परिषद् के दो पर्यवेक्षक उपस्थित होंगे। इनकी उपस्थिति में चुनाव कराए जाएंगे।

खेल संघ की कार्यकारिणी के चुनाव के समापन पर निर्वाचन अधिकारी एक प्रमाण पत्र जो विधिवत पर्यवेक्षकों द्वारा एवं जिसमें निर्वाचित सदस्यों के नाम व पते होंगे जारी करेगा। निर्वाचन अधिकारी ऐसे प्रमाण पत्र की प्रतियां राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् व रजिस्ट्रार को भेजेगा।

मत देने का अधिकार :– प्राथमिक खेल संघ के चुनाव में प्रत्येक खिलाड़ी व सम्बन्धित व्यक्ति को कार्यकारिणी के चुनाव में एक मत देने का अधिकार होगा।

जिला खेल संघ के कार्यकारिणी के चुनाव में प्रत्येक प्राथमिक खेल कार्यकारिणी को एक मत देने का अधिकार होगा।

राज्य खेल संघ के चुनाव जिला खेल संघ का सचिव अथवा जिला के कार्यकारिणी के द्वारा नामांकित व्यक्ति ही एक वोट डालने का अधिकारी होगा।

चुनाव लड़ने की पात्रता :– प्रत्येक खिलाड़ी प्रारम्भिक खेल सभा के चुनाव में निर्वाचित होने का अधिकारी होता है।

प्रारम्भिक खेल सभा की निर्वाचित कार्यकारिणी को जिला खेल संघ के चुनाव में भाग लेने की पात्रता होती है।

विभिन्न खेल संघो में सम्मिलित होने वाले सदस्य व खेल के प्रबन्धन तथा खेल की गतिविधियॉ चलाने के लिए पदाधिकारियों की संख्या का अनुपात 50:50 अनुपात रखना होगा अर्थात प्रत्येक खेल संघ में 50 प्रतिशत जिले, राज्यों, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी होंगे तथा शेष सदस्य हो। उन खेलों के मैनेजमेन्ट अथवा व्यवस्था देखने वाले सदस्य होंगें जिनकी गिनती 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी। परन्तु जब भी चुनाव होंगे उसमें इन संघो के विघटक जैसे कई क्लब्स अथवा यूनिट्स जो कि वास्तव में खेल में भाग लेने वाले ही घटक हों न कि खेलों से बाहर रहने वाले घटक सम्मिलित हों अर्थात वास्तविक रूप से खेल में ।ब्ज्प्टम्स्ल भाग लेने वाले सदस्य ही हों।

किसी भी प्रकार की प्रतिबन्धित ड्रग्स का सेवन करने वाले अथवा इनमें सम्मिलित खिलाड़ियों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

निषेद मादक पदार्थ खिलाड़ियों द्वारा सेवन करना वर्जित होगा और `।ए तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेल समितियों द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही आचरण काना होगा।

जो क्लब अथवा क्लब की कोई ईकाई ऑफिशियल टूर्नामेंट के किसी भी जिले, राज्य और प्रायोजित टूर्नामेंट्स में अवश्य रूप से भाग लेंगे। अगर वे इन टूर्नामेंट्स में भाग नहीं लेते हैं तो भविष्य में खेल संघ के चुनावों में भाग नहीं ले सकेंगे।

जय हिन्द, जय भारत